प्रेस विज्ञप्ति
04.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने मेसर्स श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एसएचएचओपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैटिवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स (दोनों कंपनियां राजेश कुमार के स्वामित्व में हैं), चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता से संबंधित 23.17 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स एसएचएचओपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स एसएचएचओपीएल ने अपने निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से 2013 से 2019 तक बेईमानी और धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करके पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को धोखा दिया। वित्तीय विवरणों में हेराफेरी करके और बाद में ऋण चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में रखे गए बंधक स्टॉक और मशीनरी का निपटान करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, **जिसके परिणामस्वरूप बैंक को 121.75 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ।**

ईडी की जांच से पता चला है कि एसएचएचओपीएल के निदेशकों में से एक राजेश कुमार ने बैंक को धोखा दिया और लोन के पैसे हड़प लिए। उसने मेसर्स सैटिवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स नामक दो फर्मों के साथ मिलीभगत करके बैंक से गिरवी रखी गई संपत्तियों को हासिल करने के गलत इरादे से योजना बनाई। इसके लिए उसने मेसर्स एसएचएचओपीएल के जरिए अर्जित अपराध के आगमों (पीओसी) को उनके बैंक खातों में डाल दिया। राजेश कुमार ने मेसर्स एसएचएचओपीएल के जरिए अर्जित पीओसी को मेसर्स सैटिवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स को लेनदेन के जटिल चक्रव्यूह के जरिए ट्रांसफर करने के लिए कई व्यक्तियों, अपने परिवार के सदस्यों और अन्य संस्थाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। उक्त कार्यप्रणाली को अपनाकर, राजेश कुमार ने न केवल वित्तीय विवरणों में हेरफेर/जालसाजी करके मेसर्स एसएचएचओपीएल के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं, बल्कि अपने लिए गलत लाभ के लिए ऋण राशि का गबन किया, साथ ही बैंक ई-नीलामी के माध्यम से अपनी लाभकारी स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स और मेसर्स सतीवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के ऋण में पीओसी को एकीकृत करके बंधक संपत्ति भी हासिल की।

यह भी पता चला है कि पीओसी का इस्तेमाल राजेश कुमार के दोनों बेटों चिराग गुप्ता और गौतम गुप्ता ने गुरुग्राम में एक-एक फ्लैट खरीदने के लिए किया। चिराग गुप्ता ने पीओसी का इस्तेमाल एफडीआर में भी किया, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स और मेसर्स सतीवा ग्लोबल की जमीन और बिल्डिंग के साथ-साथ मशीनरी सहित फैक्ट्री परिसर, जो निसिंग, करनाल में स्थित है और राजेश कुमार के स्वामित्व में है, इसके साथ ही करनाल में दो घर, गुरुग्राम में दो फ्लैट, 10 लाख रुपये की एफडीआर और 17.40 लाख रुपये की नकद जब्ती पीओसी के रूप में की गई है, जिसे कुर्क करने के आदेश के तहत जब्त कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।